बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- _____ पटना, दिनांक :- _____

ग्रा0वि0-15- (स्वच्छता) 43/2017

पेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" के अन्तर्गत 78802.92 लाख (सात अरब अठासी करोड़ दो लाख बेरानबे हजार) रूपये का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 372733 दिनांक 01.06.2018 द्वारा कुल 348030.63 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से राज्यांश के अन्तर्गत विपत्र कोड 42-2215021050302 में 114154.05 लाख (ग्यारह अरब एकतालीस करोड़ चौवन लाख पांच हजार) रूपये स्वीकृत है । इस विपत्र कोड के अन्तर्गत राशि की निकासी हेतु अबतक 33225.58 लाख (तीन अरब बतीस करोड़ पच्चीस लाख अनठावन हजार) रूपये राशि आवंटित की जा चूकी है । पुन: विपत्र कोड 42-2215021050302 में स्वीकृत राशि में से राशि की निकासी हेतु 78802.92 लाख (सात अरब अठासी करोड़ दो लाख बेरानबे हजार) रूपये आवंटित की जाती है ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- एम-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998, ब-15/BSG-15/2018-354वि0 दिनांक 28.03.2018 एवं 3244 दिनांक 04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

3. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. आवंटित की जा रही राशि 78802.92 लाख (सात अरब अठासी करोड़ दो लाख बेरानबे हजार) रूपये की निकासी विभागीय मांग संख्या 42 के मुख्य शीर्ष-2215-जलपूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई, लघु शीर्ष-105-सफाई सेवाएं, उप शीर्ष-0302- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), विषय शीर्ष-3105-सहायक अनुदान-परिसंपतियों के निर्माण, विपत्र कोड 42-2215021050302 से की जायेगी ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी करते हुए BRLPS-Swachh Bharat Mission (G) के नाम से बैंक ड्राफ्ट बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार (जीविका) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । आवंटित राशि का लेखा जोखा, रोकड़ बही आदि का संधारण जीविका, बिहार पटना द्वारा अलग से किया जायेगा ।

6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध इस योजना से संबंधित बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार (जीविका) के बैंक खाते में जमा की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जीविका द्वारा समेकित रूप से भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं महालेखाकार, बिहार तथा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को समर्पित किया जायेगा । उपयोगिता प्रमाण पत्र के संदर्भ में इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल पदाधिकारियों द्वारा जीविका को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/ प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड़, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैन्यूअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके । इस आवंटन के विरूद्ध वास्तविक व्यय का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान किया जाये ताकि विभागीय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आकड़ों में भिन्नता न हो ।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णत: संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाये । तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राधा किशोर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-_____ग्रा०वि०वि०, पटना, दिनांक:-_____

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-403320 ग्रा०वि०वि०, पटना, दिनांक:-27/12/18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार जीविका / आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।